न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 661 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रेमप्रकाश पुत्र भंवरराम जाति मेघवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 भंवरराम पुत्र राणाराम निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर, जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 10/03/2026

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खरीदसुदा खातेदारी व स्वामित्व की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399 / 3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से जरिये पंजीयन बेचान से क्रय की गई थी, जिसके अनुसार प्रार्थी को कब्जा सुपूर्द कर लट्ठा ट्रेस में तरमीम करवाने हेतु पटवारी हल्का को पंजीबद्ध बेचान की प्रति उपलब्ध करवाई गई थी। पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किये बिना प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त के विपरित तरमीम कर दी गई । उक्त गलत तरमीम होने से मौके पर तनाव की स्थिति है। मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399 / 3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नही है। परन्तु लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई लिहाजा प्रार्थी की वर्तमान तरमीम दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399 / 3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2026 / राजकाज रेफरेन्स संख्या 20767013 दिनांक 25.02.2026 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने खेत खातेदारी के खेत खसरा संख्या 3565 / 1082 में से अपने पुत्र प्रेमप्रकाश को 0.2752 हैक्टेयर भूमि का उपहार जरिये पंजीयन दस्तावेज किया गया था, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है। पंजीयन दस्तावेज के अनुसार मौके पर बाडमेर आगोर के नामान्तकरण संख्या 3826 दिनांक 20.02.2024 स्वीकृत होकर उपहारग्रहिता प्रार्थी के पृथक खसरा संख्या 4399 / 3565 का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया तथा पंजीयन दस्तावेज में संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार भू नक्शा में तरमीम की गई थी जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है, जबकि उपहारकर्ता व उपहारग्रहिता द्वारा बताया गया कि पंजीयन दस्तावेज में संलग्न नक्शा बरंग लाल के अनुसार उक्त भूमि उपहार में न कर ... नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार की गई थी तथा मौके पर कब्जा काश्त भी इसी

है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु सभी खातेदार ...त है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार दुरूस्त करने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों, नामान्तकरणों, जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। उपस्थित खातेदारान द्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त करने पर सहमति प्रकट की। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने खेत खातेदारी के खेत खसरा संख्या 3565/1082 में से अपने पुत्र प्रेमप्रकाश को 0.2752 हैक्टेयर भूमि का उपहार जरिये पंजीयन दस्तावेज किया गया था, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है। पंजीयन दस्तावेज के अनुसार मौके पर बाडमेर आगोर के नामान्तकरण संख्या 3826 दिनांक 20.02.2024 स्वीकृत होकर उपहारग्रहिता प्रार्थी के पृथक खसरा संख्या 4399/3565 का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया तथा पंजीयन दस्तावेज में संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार भू नक्शा में तरमीम की गई थी जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है, जबकि उपहारकर्ता व उपहारग्रहिता द्वारा बताया गया कि पंजीयन दस्तावेज में संलग्न नक्शा बरंग लाल के अनुसार उक्त भूमि उपहार में न कर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार की गई थी तथा मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुसार है। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु सभी खातेदार सहमत है। अतः मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399/3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थित में इस न्यायालय को धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। लिहाजा मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399/3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4400/3565 रकबा 2.4928 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 4399/3565 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4400/3565 रकबा 2.4928 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यथार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10/03/26 को सरें ईजलास सुनाया गया।